

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2017-2018 में अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों का वार्षिक  
स्थानान्तरण विषयक शासन की नीति के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र सं0- 2/2017/1/3/96-का-4-2017 दि0 03-05-2017 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2017-18 के लिए सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की जा चुकी है। अतः वाणिज्यकर विभाग में आपके जोन के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग में वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी तथा आशुलिपिक संवर्ग में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 के पद पर कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिनका शासन की नीति के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है, के संबंध में निम्न प्रारूप में अपने जोन की संकलित सूचना कृपया प्रत्येक दशा में दिनांक 11-05-2017 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें :-

प्रारूप

जोन का नाम-----

सम्भाग का नाम-----

क्र0 स0	कर्मचारी का नाम / पिता का नाम	पद नाम	गृह जनपद	सेवानिवृत्ति की तिथि	जोन में कब से तैनात है	सम्भाग में कब से तैनात है	किन कारणों से स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है	क्या कभी विभागीय कार्यवाही संस्थित हुई है (यदि हाँ तो उसका विवरण)
01	02	03	04	05	06	07	08	09

(अनूप कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त पत्र की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)

डिप्टी कमिश्नर (स्थापना अराज0) वाणिज्यकर  
मुख्यालय, लखनऊ

533  
4-5-17

श्री ~~वरेन्द्र~~ वर्मा  
De. (GIT)